

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 42 सन 2019

अनवान :-

1. मनीराम पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
वादी

### बनाम

1. देवीलाल पुत्र हेतराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लखमीचन्द पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रोशनी पुत्री देवीलाल पत्नी हरदत्त सिंह जाति सुथार निवासी भादरा तहसील भादरा
4. मन्जुदेवी पुत्री देवीलाल पत्नी भागूराम जाति सुथार निवासी पन्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 28/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 46/107 के कुल खसरा 4 की कुल 13.3940 हेक् भूमि में से 934-1/2 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वादी के दादा के देहान्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात् पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहनें हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तवा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों के नाम बहिब दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहने प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री हैं ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ईकबाल दावा तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 46/107 के कुल खसरा 4 की कुल 13.3940 हेक् भूमि में से 934-1/2 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वादी के दादा के देहान्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात् पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहनें हैं ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिरसा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है इसी प्रकार पेशेकार राज प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा भी वादी के वाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया है आपसी सहमति व साक्ष्यों से वादी का वाद साबित हो चुका है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशेकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, भू 0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा नगरासरी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हेतराम पुत्र दानाराम के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज थी वादी के दादा हेतराम पुत्र दानाराम का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णतया साबित है।

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा हेतराम पुत्र दानाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। पैतृक सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पत्ति में पौता/पोतियों का बराबर का हक हिरसा होगा। अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिरसा होगा।

वादी के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहनें एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री हैं ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि उन्होंने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिरसा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तर्दीक किया जाकर शामिल मिलसा किया जा चुका है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर पैतृक सम्पत्ति साबित होने के कारण एवं पेशेकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नहीं करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 46/107 के कुल खसरा 4 की कुल 13.3940 हैक् में से 934-1/2 हिरसा में से प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम से दर्ज 1/3 हिरसा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातोदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
गोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. गनीराम पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र हेतराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लखमीचन्द पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रोशनी पुत्री देवीलाल पत्नी हरदत्त सिंह जाति सुथार निवासी भादरा तहसील भादरा
4. मन्जुदेवी पुत्री देवीलाल पत्नी भागूराम जाति सुथार निवासी पन्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/08/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 46/107 के कुल खसरा 4 की कुल 133940 हैक में से 934-1/2 हिस्सा मे से प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालगन स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )